

बिहार सरकार,
परिवहन विभाग

अधिसूचना।

पत्रांक-02/कोर्ट केस-26/2025 परि0

पटना दिनांक-

NALSA के दिशा-निर्देशों के अनुसार शमन के रूप में निर्गत ई0 चालान से संबंधित लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया गया है।

उक्त के आलोक में परिवहन विभाग द्वारा अत्यधिक संख्या में जारी किये गये वैसे ई0 चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी नहीं किये गये हैं, जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं या नहीं समर्पित किये गये हैं, इस प्रकार के 31.03.2026 तक के लंबित यातायात ई0 चालान के निपटान को सुगम बनाने हेतु बिहार सरकार (परिवहन विभाग) द्वारा तत्काल प्रभाव से "एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026" की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष, 2026-27 तक के लिए प्रभावी होगी।

उल्लंघनकर्ताओं द्वारा ऐसे चालानों के निपटान के लिए भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि उक्त योजना में निर्धारित की गयी है।

शमन के रूप में निर्गत चालानों में से वैसे चालान जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है, इस प्रकार के चालान को वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जायेगी, जो नीचे वर्णित अनुसूची के अनुरूप निष्पादित होगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, जिसके अधीन अपराध दंडनीय है।	अपराध/विवरण	शमन के अन्तर्गत देय राशि
1	2	3	4
1	177	प्रावधानों नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उल्लंघन।	500/-
2	177-क	धारा 118 (चालन विनियम) के अधीन विनियमों का उल्लंघन।	500/-
3	178	पास या टिकट के बीना यात्रा करना।	500/-
4	179	आदेशों, निर्देशों की जानबुझ कर अवज्ञा, बाधा डालना और प्राधिकारी को जानकारी देने से इन्कार करना।	मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत विहित शास्ति (चालान में यथावर्णित) की 50 प्रतिशत राशि
5	180	अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना।	2,500/-
6	181	बीना चालक अनुज्ञप्ति अथवा निर्धारित आयु से कम आयु के व्यक्ति द्वारा वाहन का परिचालन करना।	2,500/-
7	182(1)	अन्हर्ता के पश्चात् यान चलाना।	10,000/-
8	182(2)	परिचालक के रूप में कार्यरत अनर्ह परिचालक या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना या अभिप्राप्त करना।	10,000/-

9	182क(1)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	1,00,000/-
10	182क(3)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	1,00,000/-
11	182क(4)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	5,000/-
12	182ख	धारा 62क (दोषपूर्ण मोटरवाहन का परिचालन) के उपबंधों का उल्लंघन।	5,000/-
13	183 (1)	अत्यधिक गति से यान चालना।	
		(i) एल.एम.वी. (ii) एम.एम.वी./एच.एम.वी	1,000/- 2,000/-
14	186	मानसिक एवं शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति द्वारा यान चलाना	1,000/-
15	189	सार्वजनिक स्थान में दौड़ और गति का मुकाबला	2,500/-
16	192	रजिष्ट्रीकरण या अनुज्ञापन के बिना यान का उपयोग	2,000/-
17	192क	परमिट के बिना यान का उपयोग	10,000/-
18	194क	अधिक यात्रियों का वहन	1,000/-
19	194ख (1)	सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना	500/-
20	194ख (2)	बालक है जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है	500/-
21	194ग	मोटर साईकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति	500/-
22	194घ	सिर के सुरक्षा पहनावे को न पहनने के लिए शास्ति	500/-
23	194ङ	आपातकालीन यानों को अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता	5,000/-
24	194च	हार्न और ध्वनिमंद क्षेत्र में हार्न बजाना -	1,000/-
25	196	बीमा न किये गये यान को चलाना	1,000/-
26	198	यान में अनधिकृत हस्तक्षेप	1,000/-
27	201	यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालना	500/-

28	184 (क)	दो पहिया वाहन	लाल बत्ती को पार करना।	1,000/-	परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या-6506 दिनांक- 18.08.2023 द्वारा पूर्व से अधिसूचित न्यूनतम राशि
		तीन पहिया वाहन		2,000/-	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)		3,000/-	
		मध्यम वाहन		4,000/-	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)		5,000/-	
29	184 (ख)	दो पहिया वाहन	स्टॉप साईन का उल्लंघन	1,000/-	
		तीन पहिया वाहन		2,000/-	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)		3,000/-	
		मध्यम वाहन		4,000/-	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)		5,000/-	
30		184 (ग)	वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग	5,000/-	
31		184 (घ)	विधि के विरुद्ध किसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना।	5,000/-	
32	184 (ङ)	दो पहिया वाहन	यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध चालन करना।	1,000/-	
		तीन पहिया वाहन		2,000/-	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)		3,000/-	
		मध्यम वाहन		4000/-	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)		5,000/-	
33	184 (च)	सभी प्रकार के वाहनों के लिए	किसी ऐसी रीति में गाड़ी चलाना, जो उससे बहुत कम है, जिसकी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जायेगी और जहाँ किसी सक्षम और किसी सावधान चालक को यह स्पष्ट होगा कि उस रीति में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा, से ऐसे रीति में चलाना जो पब्लिक के लिए खतरनाक है, अभिप्रेत होगा।	5,000/-	
34	190 की उपधारा (2)	दो पहिया वाहन	सड़क सुरक्षा, ध्वनि नियंत्रण या वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों के उल्लंघन में यान चलवाना या चलाने देना (प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना वाहन का परिचालन)	1,000/-	परिवहन विभाग के अधिसूचना सं०-10094 दिनांक- 02.09.2024 द्वारा पूर्व से अधिसूचित न्यूनतम राशि
		तीन पहिया वाहन		1,500/-	
		हल्के मोटरयान (LMV)		2,000/-	
		मध्यम मोटरयान (MMV)		3,000/-	
		भारी मोटरयान (HMV)		5,000/-	
		अन्य वाहन		1,500/-	

2. वर्चुअल कोर्ट के क्रियाशील होने तक के लिए संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा ई0 चालान से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात प्रभावी होगी।
बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

राज कुमार,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कोर्ट केस-26/2025 परि0

पटना दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असारधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कोर्ट केस-26/2025 परि0 3261

पटना दिनांक- 30/04/2026

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना उच्च न्यायालय, पटना/अपर महाधिवक्ता संख्या-03 (AAG-03), पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
30/04/2026

बिहार सरकार,
परिवहन विभाग

अधिसूचना।

पत्रांक-02/कोर्ट केस-26/2025 परि0

पटना दिनांक-

NALSA के दिशा-निर्देशों के अनुसार शमन के रूप में निर्गत ई0 चालान से संबंधित लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया गया है।

उक्त के आलोक में परिवहन विभाग द्वारा अत्यधिक संख्या में जारी किये गये वैसे ई0 चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी नहीं किये गये है, जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये है या नहीं समर्पित किये गये है, इस प्रकार के 31.03.2026 तक के लंबित यातायात ई0 चालान के निपटान को सुगम बनाने हेतु बिहार सरकार (परिवहन विभाग) द्वारा तत्काल प्रभाव से "एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026" की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष, 2026-27 तक के लिए प्रभावी होगी।

उल्लंघनकर्ताओं द्वारा ऐसे चालानों के निपटान के लिए भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि उक्त योजना में निर्धारित की गयी है।

शमन के रूप में निर्गत चालानों में से वैसे चालान जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है, इस प्रकार के चालान को वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जायेगी, जो नीचे वर्णित अनुसूची के अनुरूप निष्पादित होगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, जिसके अधीन अपराध दंडनीय है।	अपराध/विवरण	शमन के अन्तर्गत देय राशि
1	2	3	4
1	177	प्रावधानों नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उल्लंघन।	500/-
2	177-क	धारा 118 (चालन विनियम) के अधीन विनियमों का उल्लंघन।	500/-
3	178	पास या टिकट के बीना यात्रा करना।	500/-
4	179	आदेशों, निर्देशों की जानबुझ कर अवज्ञा, बाधा डालना और प्राधिकारी को जानकारी देने से इन्कार करना।	मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत विहित शास्त्रि (चालान में यथावर्णित) की 50 प्रतिशत राशि
5	180	अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना।	2,500/-
6	181	बीना चालक अनुज्ञप्ति अथवा निर्धारित आयु से कम आयु के व्यक्ति द्वारा वाहन का परिचालन करना।	2,500/-
7	182(1)	अन्हर्ता के पश्चात् यान चलाना।	10,000/-
8	182(2)	परिचालक के रूप में कार्यरत अनर्ह परिचालक या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना या अभिप्राप्त करना।	10,000/-

9	182क(1)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	1,00,000/-
10	182क(3)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	1,00,000/-
11	182क(4)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	5,000/-
12	182ख	धारा 62क (दोषपूर्ण मोटरवाहन का परिचालन) के उपबंधों का उल्लंघन।	5,000/-
13	183 (1)	अत्यधिक गति से यान चलाना। (i) एल.एम.वी. (ii) एम.एम.वी./एच.एम.वी	1,000/- 2,000/-
14	186	मानसिक एवं शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति द्वारा यान चलाना	1,000/-
15	189	सार्वजनिक स्थान में दौड़ और गति का मुकाबला	2,500/-
16	192	रजिष्ट्रीकरण या अनुज्ञापन के बिना यान का उपयोग	2,000/-
17	192क	परमिट के बिना यान का उपयोग	10,000/-
18	194क	अधिक यात्रियों का वहन	1,000/-
19	194ख (1)	सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना	500/-
20	194ख (2)	बालक है जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है	500/-
21	194ग	मोटर साईकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति	500/-
22	194घ	सिर के सुरक्षा पहनावे को न पहनने के लिए शास्ति	500/-
23	194ङ	आपातकालीन यानों को अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता	5,000/-
24	194च	हार्न और ध्वनिमंद क्षेत्र में हार्न बजाना	1,000/-
25	196	बीमा न किये गये यान को चलाना	1,000/-
26	198	यान में अनधिकृत हस्तक्षेप	1,000/-
27	201	यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालना	500/-

28	184 (क)	दो पहिया वाहन	लाल बत्ती को पार करना।	1,000/-	परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या-6506 दिनांक- 18.08.2023 द्वारा पूर्व से अधिसूचित न्यूनतम राशि
		तीन पहिया वाहन		2,000/-	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)		3,000/-	
		मध्यम वाहन		4,000/-	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)		5,000/-	
29	184 (ख)	दो पहिया वाहन	स्टॉप साईन का उल्लंघन	1,000/-	
		तीन पहिया वाहन		2,000/-	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)		3,000/-	
		मध्यम वाहन		4,000/-	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)		5,000/-	
30		184 (ग)	वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग	5,000/-	
31		184 (घ)	विधि के विरुद्ध किसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना।	5,000/-	
32	184 (ङ)	दो पहिया वाहन	यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध चालन करना।	1,000/-	
		तीन पहिया वाहन		2,000/-	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)		3,000/-	
		मध्यम वाहन		4000/-	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)		5,000/-	
33	184 (च)	सभी प्रकार के वाहनों के लिए	किसी ऐसी रीति में गाड़ी चलाना, जो उससे बहुत कम है, जिसकी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जायेगी और जहाँ किसी सक्षम और किसी सावधान चालक को यह स्पष्ट होगा कि उस रीति में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा, से ऐसे रीति में चलाना जो पब्लिक के लिए खतरनाक है, अभिप्रेत होगा।	5,000/-	
34	190 की उपधारा (2)	दो पहिया वाहन	सड़क सुरक्षा, ध्वनि नियंत्रण या वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों के उल्लंघन में यान चलवाना या चलाने देना (प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना वाहन का परिचालन)	1,000/-	परिवहन विभाग के अधिसूचना सं0-10094 दिनांक- 02.09.2024 द्वारा पूर्व से अधिसूचित न्यूनतम राशि
		तीन पहिया वाहन		1,500/-	
		हल्के मोटरयान (LMV)		2,000/-	
		मध्यम मोटरयान (MMV)		3,000/-	
		भारी मोटरयान (HMV)		5,000/-	
		अन्य वाहन		1,500/-	

2. वर्चुअल कोर्ट के क्रियाशील होने तक के लिए संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा ई0 चालान से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात प्रभावी होगी।
बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

राज कुमार,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कोर्ट केस-26/2025 परि0

पटना दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असारधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कोर्ट केस-26/2025 परि0

पटना दिनांक-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना उच्च न्यायालय, पटना/अपर महाधिवक्ता संख्या-03 (AAG-03), पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कोर्ट केस-26/2025 परि0 326)

पटना दिनांक- 30/04/2026

प्रतिलिपि:- अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार/पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन पाधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
30/04/2026

बिहार सरकार,
परिवहन विभाग
अधिसूचना।

पत्रांक-02/कोर्ट केस-26/2025 परि0

पटना दिनांक--

NALSA के दिशा-निर्देशों के अनुसार शमन के रूप में निर्गत ई0 चालान से संबंधित लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया गया है।

उक्त के आलोक में परिवहन विभाग द्वारा अत्यधिक संख्या में जारी किये गये वैसे ई0 चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी नहीं किये गये है, जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये है या नहीं समर्पित किये गये है, इस प्रकार के 31.03.2026 तक के लंबित यातायात ई0 चालान के निपटान को सुगम बनाने हेतु बिहार सरकार (परिवहन विभाग) द्वारा तत्काल प्रभाव से "एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026" की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष, 2026-27 तक के लिए प्रभावी होगी।

उल्लंघनकर्ताओं द्वारा ऐसे चालानों के निपटान के लिए भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि उक्त योजना में निर्धारित की गयी है।

शमन के रूप में निर्गत चालानों में से वैसे चालान जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है, इस प्रकार के चालान को वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जायेगी, जो नीचे वर्णित अनुसूची के अनुरूप निष्पादित होगी।

अनुसूची

क्र० सं०	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, जिसके अधीन अपराध दंडनीय है।	अपराध/विवरण	शमन के अन्तर्गत देय राशि
1	2	3	4
1	177	प्रावधानों नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उल्लंघन।	500/-
2	177-क	धारा 118 (चालन विनियम) के अधीन विनियमों का उल्लंघन।	500/-
3	178	पास या टिकट के बीना यात्रा करना।	500/-
4	179	आदेशों, निर्देशों की जानबुझ कर अवज्ञा, बाधा डालना और प्राधिकारी को जानकारी देने से इन्कार करना।	मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत विहित शास्ति (चालान में यथावर्णित) की 50 प्रतिशत राशि
5	180	अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना।	2,500/-
6	181	बीना चालक अनुज्ञप्ति अथवा निर्धारित आयु से कम आयु के व्यक्ति द्वारा वाहन का परिचालन करना।	2,500/-
7	182(1)	अन्हर्ता के पश्चात् यान चलाना।	10,000/-
8	182(2)	परिचालक के रूप में कार्यरत अनर्ह परिचालक या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना या अभिप्राप्त करना।	10,000/-

9	182क(1)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	1,00,000 /—
10	182क(3)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	1,00,000 /—
11	182क(4)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	5,000 /—
12	182ख	धारा 62क (दोषपूर्ण मोटरवाहन का परिचालन) के उपबंधों का उल्लंघन।	5,000 /—
13	183 (1)	अत्यधिक गति से यान चलाना।	
		(i) एल.एम.वी. (ii) एम.एम.वी./एच.एम.वी	1,000 /— 2,000 /—
14	186	मानसिक एवं शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति द्वारा यान चलाना	1,000 /—
15	189	सार्वजनिक स्थान में दौड़ और गति का मुकाबला	2,500 /—
16	192	रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञापन के बिना यान का उपयोग	2,000 /—
17	192क	परमिट के बिना यान का उपयोग	10,000 /—
18	194क	अधिक यात्रियों का वहन	1,000 /—
19	194ख (1)	सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना	500 /—
20	194ख (2)	बालक है जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है	500 /—
21	194ग	मोटर साइकिल ड्राइवर्स और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति	500 /—
22	194घ	सिर के सुरक्षा पहनावे को न पहनने के लिए शास्ति	500 /—
23	194ङ	आपातकालीन यानों को अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता	5,000 /—
24	194च	हार्न और ध्वनिमंद क्षेत्र में हार्न बजाना	1,000 /—
25	196	बीमा न किये गये यान को चलाना	1,000 /—
26	198	यान में अनधिकृत हस्तक्षेप	1,000 /—
27	201	यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालना	500 /—

28	184 (क)	दो पहिया वाहन	लाल बत्ती को पार करना।	1,000/-	परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या-6506 दिनांक- 18.08.2023 द्वारा पूर्व से अधिसूचित न्यूनतम राशि
		तीन पहिया वाहन		2,000/-	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)		3,000/-	
		मध्यम वाहन		4,000/-	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)		5,000/-	
29	184 (ख)	दो पहिया वाहन	स्टॉप साईन का उल्लंघन	1,000/-	
		तीन पहिया वाहन		2,000/-	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)		3,000/-	
		मध्यम वाहन		4,000/-	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)		5,000/-	
30		184 (ग)	वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग	5,000/-	
31		184 (घ)	विधि के विरुद्ध किसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना।	5,000/-	
32	184 (ङ)	दो पहिया वाहन	यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध चालन करना।	1,000/-	
		तीन पहिया वाहन		2,000/-	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)		3,000/-	
		मध्यम वाहन		4000/-	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)		5,000/-	
33	184 (च)	सभी प्रकार के वाहनों के लिए	किसी ऐसी रीति में गाड़ी चलाना, जो उससे बहुत कम है, जिसकी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जायेगी और जहाँ किसी सक्षम और किसी सावधान चालक को यह स्पष्ट होगा कि उस रीति में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा, से ऐसे रीति में चलाना जो पब्लिक के लिए खतरनाक है, अभिप्रेत होगा।	5,000/-	
34	190 की उपधारा (2)	दो पहिया वाहन	सड़क सुरक्षा, ध्वनि नियंत्रण या वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों के उल्लंघन में यान चलवाना या चलाने देना (प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना वाहन का परिचालन)	1,000/-	परिवहन विभाग के अधिसूचना सं0-10094 दिनांक- 02.09.2024 द्वारा पूर्व से अधिसूचित न्यूनतम राशि
		तीन पहिया वाहन		1,500/-	
		हल्के मोटरयान (LMV)		2,000/-	
		मध्यम मोटरयान (MMV)		3,000/-	
		भारी मोटरयान (HMV)		5,000/-	
		अन्य वाहन		1,500/-	

2. वर्चुअल कोर्ट के क्रियाशील होने तक के लिए संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा ई0 चालान से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात प्रभावी होगी।
बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

राज कुमार,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कोर्ट केस-26/2025 परि0

पटना दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असारधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कोर्ट केस-26/2025 परि0

पटना दिनांक-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना उच्च न्यायालय, पटना/अपर महाधिवक्ता संख्या-03 (AAG-03), पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कोर्ट केस-26/2025 परि0

पटना दिनांक-

प्रतिलिपि:- अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार/पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कोर्ट केस-26/2025 परि0

पटना दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/कोर्ट केस-26/2025 परि0 3261

पटना दिनांक- 30/04/2026

प्रतिलिपि:- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन/मैपिंग करने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव
30/04/2026